फा. सं. 4/5/2022-सा.II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

रैक सर्वर के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम)/ प्राधिकृत डीलरों/ आपूर्तिकर्ताओं / वितरकों/ ओईएम के चैनल पार्टनर, जो इस क्षेत्र में अनुभव रखती हैं, से दो-बोली प्रणाली के तहत ऑन-लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। तकनीकी विवरण एवं कार्यक्षेत्र को इस दस्तावेज के अनुबंध-1 में दर्शाया गया है। **मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएगी।**

निविदा दस्तावेज, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल(सीपीपीपी) पोर्टल साइट **https://eprocure.gov.in/eprocure/app**से डाउनलोड किया जा सकता है, इसके लिए समय-अनुसूची नीचे क्रिटिकल डेटशीट में दी गई है:-

<u>क्रिटिकल डेट शीट</u>

सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	21.01.2023
दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभिक तारीख	21.01.2023
दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	04.02.2023
बोली प्रस्तुतीकरण शुरू होने की तारीख	21.01.2023
स्पष्टीकरण की प्रारंभिक तारीख	21.01.2023
स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	31.01.2023 (1700 बजे.)
ऑन-लाइन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तारीख तथा समय	04.02.2023 (1700 बजे.)
तकनीकी बोलियों को खोलने की तारीख तथा समय	06.02.2023 (1100 बजे.)
धरोहर जमा राशि (ईएमडी)	रु.2,25,000/-

बोलियांकेवलसीपीपीपोर्टलवेबसाइटhttps://eprocure.gov.in/eprocure/appपर केवल ऑन-लाइनहीजमाकीजाएंगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे'<u>https://eprocure.gov.in/eprocure/app'</u>पर ई-प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक

प्रापण पोर्टल के माध्यम से बोलियों के ऑन-लाइन ई-प्रस्तुतीकरण के लिए ठेकेदारों / निविदाकारों के लिए अनुदेश" में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेजों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित **100 डीपीआई**के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है।

सामान्य निबंधन तथा शर्ते

1. **बोलियों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया**:

बोलियां केवल **केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (ई-प्रोक्योरमेंट)** के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।

निविदा को दो भागों, अर्थात **तकनीकी बोली** और **मूल्य बोली,** में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठों पर, दस्तावेजों के विषय-वस्तु की प्रकृति का ध्यान रखे बिना दस्तावेजों को अपलोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा अनिवार्यतः हस्ताक्षर तथा क्रमिक रूप से संख्या डाली जानी चाहिए।फैक्स/ईमेल या किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय, डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/एफडीआर के रूप में **रु.2,25,000/-** की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) के मूल लिखत की **हार्ड प्रति** अनिवार्यतः **क्रिटिकल डेट शीट में** यथावर्णित ऑन-लाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख/समय पर या उससे पहले सं.लो.से.आ. को सुपुर्द की जाए।

(i) <u>तकनीकी बोली:</u>

बोलीदाता को अनुबंध-**VI**में दर्शाई गई जांच सूची में उल्लखित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होंगी अर्थात**:-**

(क) प्रमाण के तौर पर कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र/निगमन प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति, इस आशय से कि बोलीदाता, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर एक वैध इकाई है और साथ ही बोली खोलने के समय कम से कम 7 वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए।

बोलीदाताओं को जेवी/कॉन्सोर्टियम, स्वामित्व या साझेदार फर्म के रूप में बोली लगाने की अनुमति नहीं है।

ख) पैन कार्ड की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति;

ग) आईएसओ प्रमाणन की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति;

घ) रख-रखाव/पुर्जो के लिए ओईएम प्राधिकरण की हस्ताक्षरित तथा आगे-पीछे स्कैन की गई प्रति;

ङ) वर्ष 2021-2022, सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्ष की आयकर विवरणियों की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रतियां**;**

च) वस्तु एवं सेवा कर **(**जी एस टी) पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति**;**

छ) वर्ष 2021-2022 सहित फर्म के पूर्ववर्ती तीन वर्ष कीलेखा परीक्षित बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रतियां तथा चार्टर्ड एकॉउंटेन्ट से (**i**) पूर्ववर्ती तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक कारोबार(टर्नओवर)तथा(**ii**)टर्नओवर ऑन-लाइनसर्वर और डेस्कटॉप कम्प्यूटर की एएमसी से संबंधित हैं, कोदर्शाने वाला प्रमाण-पत्र तथा अन्य स्रोतों से होने वाली आय को पूर्ववर्ती तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान केवल सर्वर एवं डेस्कटॉप के एएमसी जैसी सेवाओं से 50 लाख रुपये या इससे अधिक के वार्षिक कारोबार से संबंधित दस्तावेजों का सहायक दस्तावेजों के रूप में इसमे शामिल नहीं कियाजाएगा**;**

ज) पिछले 5 वर्षों के दौरान कार्य आदेश की प्रतियों के साथ उन संगठनों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई सूची जहां फर्म ने इस प्रकार की सेवाएं निष्पादित की हों या निष्पादित कर रही हो**;**

झ) 2,25,000/- रु**.** की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति या केन्द्रीय भंडार, देवनागरी में एनसीसीएफ, एनएसआईसी व एमएसएमई से प्राप्त प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति**,** यदि छूटका दावा किया गया हो**;**

ञ) अनुबंध-**II**के अनुसार तकनीकी अनुपालन विवरण और अनुबंध-**III**और अनुबंध-**IV**के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति ।

ट) सं.लो.से.आ. परिसर पर तैनात किए जाने वाले रेजिडेंट इंजीनियर की उनकी योग्यता**,** आयु और अनुभव के दस्तावेजी प्रमाण के साथ उनके विवरण की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति।

(ii) <u>मूल्य बोली</u>

मूल्य बोली अनुसूची केवल निर्धारित प्रपत्र **(बीओक्यू.एक्सएलएस प्रपत्र)** में प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलीदाता अपनी दर अनिवार्यतः मूल्य बोली के लिए निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-V) के अनुसार सीपीपी पोर्टल में बीओक्यू प्रारूप में

प्रस्तुत करेगा। तकनीकी बोली में किसी भी तरीके से उद्धृत दरों का खुलासा करने पर बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। दरों को कर छोड़कर उद्धृत किया जाना चाहिए। करों को दरों के साथ अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए।

2. **धरोहर जमा राशि:**

निविदा के साथ रु.2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) की धरोहर जमा राशि (ई एम डी) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यह धरोहर जमा राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली/नई दिल्ली के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर/ एफडी आर के रूप मे जमा करनी होगी, ऐसा नहीं किए जाने पर बोली सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी। केन्द्रीय भंडार, एनसीसीएफ, फर्मजो एमएसएमई/एनएसआईसी के साथ पंजीकृत है या कोई भी संस्थान जिसे सरकारी नियमों के तहत ईएमडी प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त हो, को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ईएमडी जमा करने से छूट प्राप्त होगी।

अन्य बोलीदाताओं को ऊपर उल्लेख किएगए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में धरोहर जमा राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(i) धरोहर जमा राशि (ईएमडी), बोली की वैधता अवधि से परे45 (पैंतालीस) दिन की न्यूनतम अवधि के लिए वैध रहेगी।

(ii) धरोहर जमा राशि स्कैन की जाएगी और निविदा प्रस्तुत करने की अवधि के भीतर ही ई-निविदा वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी तथा मूल प्रति को सं. लो. से.आ. में जमा करना होगा।

(iii) असफल बोलीदाताओं की धरोहर जमा राशि निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। धरोहर जमा राशि पर किसी भी परिस्थिति में सं.लो.से.आ. द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3. **कार्य-निष्पादन गारंटी:**सफल बोलीदाताओं को कुल संविदा मूल्य के 5% की दर से तीन वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करना अपेक्षित होगा।कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि सचिव, सं.लो.से.आ. दिल्ली के पक्ष में आहरित किसी राष्ट्रीय बैंक या वाणिज्यिक अनुसूचित बैंकों से जारी डिमांड ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर/ एफडीआर/ बैंक गारंटी के रूप में, होगा तथा जिसे इस आशय का पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। कार्य निष्पादनसुरक्षा राशि सभी संविदात्मक जिम्मेदारियों के पूरा होने की तारीख से 90 दिन की अवधि तक वैध रहेगी। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है। यह परिसमापन क्षति / शास्ति यदि कोई हो, जो इसके निबंधन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किए गए

अनुसार लगाई जा सकती है, के अतिरिक्त होगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को धरोहर जमा राशि वापस कर दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

पात्रता मानदंड

4. बोलीदाता अनिवार्य रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 के पंजीकृत लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कानूनी रूप से वैध इकाई के रूप में अस्तित्व में होनी चाहिए और बोली खुलने की तारीख को कम से कम 7 वर्ष पूरा होना चाहिए। बोलीदाता को संयुक्त उद्यम/संघ, स्वामित्व(प्रोपराइटरशिप) या साझेदार के रूप में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। बोलीदाता को कानूनी वैधता के समर्थन में प्रमाण अर्थात कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

5. बोलीदाता मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम)/प्राधिकृत डीलर/आपूर्तिकर्ता/वितरक/मूल उपकरण विनिर्माता का चैनल पार्टनर होना चाहिए, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो।इस संबंध मेंबोलीदाता को रखरखाव / कल-पुर्जो के लिए आगे-पीछे (बैक टू बैक) ओईएम से प्राप्त प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. बोलीदाता को सरकारी संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के फर्मों को अनुबंध-I-क एवं I-ख में यथा उल्लिखित विशेष विनिर्देशन के साथ ऑन-लाइन सर्वरों तथा डेस्कटॉप कॉम्प्यूटरोंके लिए अधिमानत: ऑन-लाइन अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।केवल डेस्कटॉप कम्यूटर के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।इस संबंध में तकनीकी बोली के साथ पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान, प्रत्येक संगठन के कम से कम 2 कार्य आदेशों/क्रय आदेशों की प्रतियों के साथ उन संगठनों की सूची जहां फर्म द्वारा इस प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई है तथा संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र अवश्य ही संलग्न किया जाना चाहिए।

7. फर्म का ऑन-लाइन सर्वरों और डेस्कटॉप कंप्यूटरों की एएमसी से कम से कम 50 लाख रु. प्रतिवर्ष का न्यूनतम टर्नओवर भी होना चाहिए। इस संबंध में, बोलीदाता को वर्ष 2021-2022 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।इसके अतिरिक्त, बोलीदाता को सनदी लेखाकार (सीए) से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह दर्शाता हो, (i) प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों का वार्षिक टर्नओवर तथा (ii) टर्नओवर केवल ऑन-लाइन सर्वरों तथा डेस्कटॉप कंप्यूटरोंकी एएमसी से संबंधित होनी चाहिए तथा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए।

8. बोलीदाता को आईएसओ 9001 प्रमाणित कंपनी होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना होगा।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्ते</u>

9. एएमसी के अंतर्गत कवर किए जाने वाले प्रस्तावित ऑन-लाइन सर्वरों को एनआईसी डेटा केंद्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली और आपदा रिकवरी (डीआर) साइट पुणे में स्थापित किया गया है। सर्वरों की अनुरक्षण सहायता साइट पर 24x7 प्रदान की जानी है।

10. उपर्युक्त उपकरणों के लिए मुहैया कराई जाने वाली अनुरक्षण सेवाएं "जैसा है जहां है" आधार पर होगी। फर्म एएमसी अवधि के दौरान रेजिडेंट इंजीनियर(केवल दिल्ली डीसी पर) उपलब्ध कराएगी जो इन ऑनलाइन सर्वरों के अनुरक्षण संबंधी कार्य की देखरेख करेगा।निविदाकार के पास सर्वरों तथा डेस्कटॉप कम्प्यूटर के प्रबंधन एवं अनुरक्षण के लिए समुचित अनुभव वाला तकनीकी स्टाफ होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ तकनीकी स्टाफ का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस दस्तावेज के अनुबंध-**II** में दी गई तकनीकी अनुपालन रिपोर्ट जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

11. **सं.लो.से.आ.एनआईसी डेटा केंद्र (एनडीसी), दिल्ली में रेजिडेंट इंजिनीयर:**फर्म, 24x7ऑन-लाइन सर्वर के रख-रखाव के लिए 8x7 रेजिडेंट इंजीनियर उपलब्ध कराएगी और कॉल अटेन्ड करने के लिए न्यूनतम प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित करेगी। नियुक्त किए जाने वाले इंजीनियर के पास बी.ई. / ओएस सपोर्ट विन सर्वर/लिनक्स सपोर्ट सहितऑन-लाइन सर्वर सपोर्ट में न्यूतम2 वर्ष के अनुभव के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता और आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंट इंजीनियर संगठन का नियमित कर्मचारी होना चाहिए। बोलीदाता को इंजीनियर की योग्यता तथा इस क्षेत्र में उसके अनुभव की अवधि का उल्लेख करना होगा और योग्यता तथा अनुभव के संबंध में उसके दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रति) उपलब्ध करानी होगी।

12. सिस्टम का डाउन टाइम, शिकायत किए जाने के समय से 6 (छः) घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि डाउन टाइम 6 (छः) घंटे से अधिक का होता है, तो बोलीदाता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सं.लो.से.आ. को स्टैन्ड बाई (अतिरिक्त) सिस्टम प्रदान करना होगा और इसके परिवहन/संस्थापन इत्यादि

सहित सभी व्यय का वहन बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। यदि सिस्टम की मरम्मत अथवा वैकल्पिक सिस्टम की आपूर्ति सिस्टम खराब होने की रिपोर्टिंग के समय से 6 (छः) घंटे के भीतर नहीं की जाती है तो सं.लो.से.आ. के पास किसी अन्य एजेंसी से इसकी मरम्मत करवाने अथवा प्रतिस्थापित करवाने का अधिकार होगा तथा इस पर लगने वाली लागत/व्यय की गई राशि को सफल बोलीदाता से वसूल किया जाएगा।

13. **संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से संविदा 3 (तीन) वर्ष के लिए वैध रहेगी।** तथापि, सचिव, सं.लो.से.आ. अपने विवेकाधिकार पर संविदा को उन्ही निबंधन, शर्तों एवं तीसरे वर्ष के दर पर 01(एक) वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।

14. **बोलियों का मूल्यांकन:-**

(i) **तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन**:-तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन तकनीकी बोली दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

(ii) **वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन**:-

(क) केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोलियों को तकनीकी बोलियों की विस्तृत जांच के पश्चात सं.लो.से.आ. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ख) वित्तीय मूल्यांकन सभी तीन वर्षों के लिए उद्धृत दरों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। एल-**I** का चयन अनुबंध-**V** मे दिए गए विवरण के अनुसार एनपीवी(निवलवर्तमान मूल्य) के आधार पर होगा। तथापि, भुगतान फर्म द्वारा उद्धृतवर्षवार दरों तथा लागू करों के आधार पर किया जाएगा।

(ग) यदि दो बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान पाई जाती है, एल-1बोलीदाता उसे माना जाएगा जिसका 3(तीन) वर्षों का संचयी वार्षिक टर्नओवर अधिक है।

(iii) **ऑफर की अस्वीकृति के तहत मूल्यांकन**:-

एल-1 बोलीदाता की दर, एल-2 बोलीदाता को ऑफर की जाएगी। यदि एल-2 बोलीदाता ऑफर स्वीकार करने से इनकार करता है, तो ऑफर एल-1 बोलीदाता की उद्धृत दरों पर तीसरे बोलीदाता (एल-3) को दिया जाएगा। एल-1 बोलीदाता ऑफर को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं करने पर एल-1 बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। एल-3 बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति के मामले में, अंतिम पात्र बोलीदाता तक एल-1 बोलीदाता की उद्धृत दरों पर यहीं प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

15. बोलियां, तकनीकी बोलियां खोले जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी।

16. अपूर्ण बोलियां या बोलियां जिसमेंरेजिडेंट इंजीनियर कीतकनीकी योग्यता एवंअनुभव के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17. काल्पनिक, सशर्त या अपूर्ण बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

18. सं.लो.से.आ. के पास बिना कोई कारण बताएं किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

19. **आयकर:**यथा लागू बिल से स्रोत पर वसूली योग्य। बोलीदाताओं को अपना स्थायी आयकर खाता सं.(पैन) प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता वर्ष 2021-2022 सहित पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए फर्म के आयकर रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करेगा। उन्हेंअनुबंध-**III** के अनुसार यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा कि उन्हें पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/संपत्ति छुपाने के लिए दंडित या दोषी करार नहीं किया गया है।

20. **भुगतान शर्ते:**व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए भुगतान, कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और सं.लो.से.आ. के आई.एस. विंग के वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जानेपर तिमाही आधार पर किया जाएगा। संविदाकार को प्रत्येक तिमाही के अंत में आई.एस.विंग से प्राप्त प्रमाण पत्र और पी.एम. रिपोर्ट (कार्यक्षेत्र के खंड 5 द्वारा यथा अनिवार्य) सहित बिल प्रस्तुत करना होगा।

21. **जोखिम क्रय खंड:**यदि बोलीदाता, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकृत होने के बाद अर्थात् इस आशय-पत्र लगाने के बाद, इन निविदा दस्तावेजों के निबंधन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है और / या नियत कार्यक्रम के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहता है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करता है तो सं.लो.से.आ. को धरोहर जमा राशि, निष्पादन सुरक्षा राशि, को जब्त करने, यदि बोलीदाता द्वारा जमा की गई हो, और बोलीदाता की जोखिम और खर्चे पर किसी अन्य फर्म से कार्य कराने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और बोलीदाता के बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अंतर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों के साथ बोलीदाता से की जाएगी। यदि सं.लो.से.आ. वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए बाध्य होने

पर और यदि लागत कम होने के बावजूदइसका लाभ बोलीदाता को नहीं दिया जाएगा।

22. **परिसमापन क्षतियां:**बोलीदाता को निविदा के निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्य क्षेत्र के अनुरूप पूर्णतया कार्य निष्पादित करना है। ऐसा नहीं करने पर सं.लो.से.आ. अन्य किसी अधिकार अथवा उपलब्ध समाधान के प्रति दुर्भावना व्यक्त किए बिना परिसमापन क्षतियों के रूप में वेंडर से हानि के रूप में इस कार्यालय द्वारा निश्चित/निर्धारित धन राशि की वसूली कर सकता है तथा न कि कार्य के विलंब के लिए 1% प्रति सप्ताह की दर से शास्ति अधिरोपित करके जो कुल संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन होगा।

23. **शास्तियाँ**:यदि सिस्टम डाउन समय 'कार्य क्षेत्र' (अनुबंध-I) के पैरा 6 में निर्दिष्ट अनुमेय सीमा से अधिक है, तो सं.लो.से.आ. शिकायतों का समाधान करने में संतोषजनक रख-रखाव सेवा प्रदान करने में विफल होने के लिए फर्म की तिमाही बिल पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार रखता है, जो यथानुपात मासिक रख-रखाव शुल्क का 4% की दर से प्रति घंटा या उसके भाग के रूप में देय होगा तथा विशेष तिमाही के कुल अनुबंध-मूल्य का अधिकतम 10% होगा।

24. **मध्यस्थता**:सं.लो.से.आ. तथा फर्म के बीच होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो संविदा के निष्कर्ष, अर्थ तथा प्रचालन या आशय या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो, तो ऐसे में विवाद का निपटान माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार सं.लो.से.आ.द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय सं.लो.से.आ. तथा फर्म, दोनों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा।

25. **क्षेत्राधिकार:**मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्यवाही जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से एतद् द्वारा सहमत होंगे।

26. **अपरिहार्य घटना**:सं.लो.से.आ. अथवा बोलीदाता,यथास्थिति को संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में किसी विफलता अथवा चूक अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लगने, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के कारण और नियंत्रण से बाहर के कारण जैसे, सिविल हड़ताल, तालाबंदी, दंगे, हड़ताल, गृह युद्ध आदि के कारण इसके कार्य निष्पादन में विलंब के मामलों में ऐसी चूक, विफलता अथवा विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और निष्पादन के अपने संबंधित दायित्वों से मुक्त होंगे, बशर्ते एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी घटना होने के 21 दिनों के भीतर

सूचना दे देता है,कोई भी पक्षकार जब कभी अपरिहार्य घटनाओं के लिए नोटिस देता है तो उन्हें किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमाण-पत्र के रूप में ऐसी घटना की पुष्टि करनी होगी। पक्षकारों को उनके संबंधित दायित्वों से तब तक राहत दी जाएगी जब तक अपरिहार्य स्थिति जारी रहती है और जिस हद तक उनका निष्पादन प्रभावित हुआ है, बशर्ते यथा उपर्युक्त सूचनाएं दी गई हों और उपर्युक्त अनुसार अपरिहार्य घटना के क्रम को स्थापित किया गया हो। तथापि, यदि संविदा में निर्दिष्ट निष्पादन को हड़ताल, तालाबंदी आदि, के कारण 60 दिनों से अधिक समय के लिए रोक दिया जाता है तो सं.लो.से.आ.को संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।

27. सफल बोलीदाता द्वारा अनुरक्षण सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन न कर पाने की स्थिति में सं.लो.से.आ. को यह विवेकाधिकार होगा कि वह सचिव, सं.लो.से.आ. द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाए एक माह का नोटिस देकर वार्षिक अनुरक्षण संविदा को समाप्त कर दे और इसे किसी अन्य फर्म को प्रदान कर दे या इस कार्यालय को इस संबंध में हुई हानि/क्षति के लिए बोलीदाता से रकम की वसूली करें। इस संबंध में, सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

28. ऊपर उल्लिखित वा.अनु.सं. प्रदान करने संबंधी व्यापकशर्तें हैं। यदि वेंडर कोवा.अनु.सं. (एएमसी) प्रदान की जाती है तो उन्हें विस्तृत अनुरक्षण करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।

29. यदि बोलीदाता निविदा के निबंधन और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तोसं.लो.से.आ. संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय एजेंसी के साथ करार / संविदा को निरस्त/ समाप्त करने का अधिकार रखता है। सं.लो.से.आ. का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

30. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, वेंडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सं.लो.से.आ. में तैनात उसके सभी कार्मिक, रोकथाम, स्वच्छता, सामाजिक दूरी के उपायों आदि पर भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

31. इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित हेल्पलाइन नं. 011-23381141 पर संपर्क किया जा सकता है।

32. निविदा सूचना सं.लो.से.आ. की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

(आर.के.दीक्षित)
अवर सचिव (सामान्य)
संघ लोक सेवा आयोग
टेली- **011-23388418**

अनुबंध-I

कार्य क्षेत्र

एचपी के **बारह**ऑन-लाइन सर्वर्स है, जिनमें से **नौ**ऑन-लाइन सर्वर्स एनआईसी डेटा केंद्र, शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में स्थापित है और **तीन**ऑन-लाइन सर्वर्स सं.लो.से.आ. के ऑन-लाइन अनुप्रयोगों के लिए डिजास्टर रिकवर (डीआर) साइट, पुणे में स्थापित है। इन सर्वरों को पाँच वर्ष की वारंटी के साथ दिसम्बर, 2017 में प्राप्त किया गया था। ऑन-लाइन सर्वरों की विस्तृत तकनीकी विनिर्देश अनुबंध-Iक एवंIख में है दिए गए हैं।

फर्म को साइट पर ऑन-लाइन सर्वरों के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को 24x7 सही स्थिति में कार्य करते रहने के लिए निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों को सुनिश्चित करना होगा:-

1. फर्म को समझौते की शर्तों के अधीन सुधारात्मक और उपचारात्मक रख-रखाव के लिए सभी कॉल्स अटेंड करना चाहिए। 99.9% अपटाइम के लिए डाउन टाइम की गणना करने के उद्देश्य से, शुरुवाती समय, फोन या ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का होगा। 99.9% के अपटाइम का सर्विस लेवल समझौता (एसएलए) स्तर, संभावित डाउनटाइम की निम्नलिखित अवधि प्रदान करता है।

दैनिक :	1 मिनट	26.4 सेकंड
साप्ताहिक :	10 मिनट	4.8 सेकंड
मासिक :	43 मिनट	49.7 सेकंड
वार्षिक :	8 घंटे 45 मिनट	57.0 सेकंड

इस सर्विस लेवलसमझौते के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित शर्तों के साथ संविदा में निर्दिष्ट परिभाषाओं और शर्तों का अर्थ नीचे बताया गया है:-

"अपटाइम" का अर्थ उस समयावधि से है जिसके लिए निर्दिष्ट तकनीकी और सेवा मानकों के साथ निर्दिष्ट सेवा/घटक, सं.लो.से.आ.के लिए उपलब्ध हैं। किसी भी घटक काप्रतिशत में, अपटाइम, की गणना निम्नवत की जा सकती है।

अपटाइम= {1-[डाउनटाइम)/कुल समय–अनुरक्षण समय)]} *100

"डाउनटाइम" का अभिप्राय उस अवधि से है जिसके लिए निर्दिष्ट तकनीकी और सेवा मानकों के साथ निर्दिष्ट सेवाएं/घटक उपलब्ध नहीं हैं और इसमें अग्रिम से नियोजित शेडयूल ऑउटज शामिल नहीं हैं।

“कुल समय” का अर्थ उस विशेष अवधि के लिए तिमाही आधार पर रिपोर्ट की गई कॉल को बंद करने के लिए लिया गया समय है।

“अनुरक्षण समय” का अर्थ बोलीदाता द्वारा खराबी के स्तर के अनुसार 6/12/24 घंटे के बाद समस्या को ठीक करने/सुधारने में लगने वाला समय होगा।

2. यह वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) व्यापक होगी और अनुरक्षण अवधि के दौरान कल पुर्जों की लागत इसमें शामिल होगी। समान तरह और विशिष्टताओं वालेअनुपयोगी पुर्जों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। पुर्जे(पार्टस) को प्रतिस्थापित किए जाने की स्थिति में सिस्टम से हटाया गया खराब पुर्जा फर्म की संपत्ति होगी।

3. रेजिडेंट इंजीनियर साइट पर सं.लो.से.आ.की तरफ से सभी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का संरक्षक होगा और जिस एजेंसी को एएमसी अनुबंध दिया गया है, वह 24x7 ऑन-लाइन सर्वर के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी समस्या के समाधान के मामले में, ओईएम के परामर्श से विफलता का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकिभविष्य में इसी तरह की विफलताओं से बचा जा सके। विफलता सुधार संबंधी सारांश रिपोर्ट और विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सं.लो.से.आ. में जमा करनी होगी। रेजिडेंट इंजीनियर की संक्षिप्त ड्यूटी 8x7 (8 घंटे/दिन और 7 दिन/सप्ताह) निम्नवत होगी:-

(i) सर्वर/ओएस की प्रीवेंटटिव हेल्थ चेक-अप।

(ii) ओईएम के साथ कॉल लॉगिंग।

(iii) ई-मेल के माध्यम से सं.लो.से.आ. को भेजी जाने वाली दैनिक और साप्ताहिक रिपोर्ट/सिस्टम लॉग।

(iv) रेजिडेंट इंजीनियर यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजनाएं सभी सरकारी और उद्योग मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन करें। यदि विशेष परमिट या रिकार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो रेजिडेंट इंजीनियर ऐसा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कागजी कार्यवाही रिकार्ड और ठीक से संग्रहीत की गई है।

(v) किसी भी आकस्मिक घटना के मामले में कार्यालय समय के बाद अर्थात 8x7 रेजिडेंट इंजीनियर को किसी भी समय बुलाया जा सकता है।

4. फर्म,ओएस अनुरक्षण, सभी ड्राइवर्स के साथ ओएस की रिलोडिंग, ओएस/फर्मवेयर अपग्रेड जैसेओएस (ऑपरेटिंग सिस्टम) रेड हैट इन्टरप्राइज लिनक्स (आरएचईएल) सपोर्ट प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अनुरक्षण अवधि के दौरान सभी ऑन-लाइन सर्वरों पर डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन।

5. फर्म, तीन महीने में एक बार निर्धारित सुधारात्मक (पीएम) अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें अनुबंध-I में दिए गए विवरण अनुसार सभी सर्वरों के लिए सं.लो.से.आ. द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार नियमित जांच शामिल है और बिल प्रस्तुत करने से पहले सं.लो.से.आ. को सुधारात्मक अनुरक्षण(पीएम) रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

6. फर्म,ऑन-लाइन सर्वर के लिए 24x7 साइट पर 99.9% अपटाइम प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसा नहीं करने पर सं.लो.से.आ.द्वारा प्रस्तावित शास्ति लगायी जाएगी। हालांकि, शास्ति लगाने से पहले सं.लो.से.आ.कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें डाउन टाइम के विवरण का उल्लेख होगा। इसमें वेंडर पर अधिरोपित की जाने वालीप्रस्तावितशास्ति भी शामिल होगी। ब्रेक डाउन टाइम की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

क्र. सं.	**एच/डब्ल्यू प्रबंधन स्तर**	**खराबी का प्रकार**	**शास्ति**	**मापन प्रक्रिया**
1	महत्वपूर्ण	हार्डवेयर की खराबी का समाधान नहीं होने की स्थिति मे सिस्टम फेल होने के कारण सभी सेवाओं में होने वाला व्यवधान, फॉल्ट की रिपोर्टिंग समय से 6 घंटे से अधिक होगा।	यथानुपात मासिक अनुरक्षण शुल्क का 4% प्रति घंटे या उसके भाग के लिए देय होगा।	सिस्टम लॉग का विश्लेषण
2	प्रमुख	प्राइमरी सिस्टम के खराब होने के मामले में यदि डीआर साईट में स्वीचिंग गड़बड़ी की रिपोर्ट करने के 12 घंटे से अधिक समय।	यथानुपात मासिक अनुरक्षण शुल्क का 4% प्रति घंटे या उसके भाग के लिए देय होगा।	सिस्टम लॉग का विश्लेषण
3	गौण/लघु	सीपीयू/ एचडीडी/ मेमोरी कार्ड में हल्की खराबी (जिससे कि सेवा में कोई	प्रभावित उपकरण (उपकरणों) के यथानुपात मासिक	सिस्टम लॉग का विश्लेषण

		व्याधान नही होता है) आती है तो रिपोर्ट की गई पुर्जे को प्रदान/प्रतिस्थापन/मरम्मतकिया जाएगा। या एक दिन के भीतर आपात उपयोगी व्यवस्था की जाएगी तथा 24 घंटे के भीतर संस्थापित करना आवश्यक है।	रख-रखाव शुल्क का 4% प्रति घंटे और उसके भाग के लिए देय होगा।	

जुर्माने की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाएगी और अनुबंध के मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगी। उपर्युक्तजुर्माने के अतिरिक्त डाउन टाइम अवधि के लिए एएमसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। सं.लो.से.आ. के पास, खराब प्रदर्शन या बार-बार खराब होने के मामले में अनुबंध को रद्द करने का अधिकार है।

7. यह फर्म की जिम्मेदारी होगी कि तत्काल शिकायत का समाधान करे तथा सभी शिकायत/कॉल अटेंड की जानी चाहिए तथा शिकायत दर्ज करने के छः घंटे के भीतर अभियंता द्वारा समाधान किया जाए। यदि किसी शिकायत/कॉल को निर्धारित अवधि अर्थात अधिकतम 6 घंटे के भीतर संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया जाता है, तो खंड 6 के अनुसार जुर्माना दरों पर कटौती निर्धारित अवधि से परे भुगतान से की जाएगी, जब तक कि खराबी ठीक नहीं हो जाती है और सिस्टम वापस सामान्य स्थिति में कार्य करना चालू नहीं करता है।

8. नियुक्त किए गए अभियंता के पासअनुबंध I-कऔर I-खमें यथा निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता और हार्डवेयर और संबंधित सॉफ़्टवेयर की पर्याप्त कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

अनुबंध-1क

विनिर्देशन

मॉडल: एचपीईडीएल560 जेन 9 (रैक माउंट सर्वर 4पी) – कुल 7

क्र. सं.	पुर्जों के नाम	पुर्जों का विवरण
1	प्रोसेसर	चार x86 64-बिट प्रोसेसर
2	मदरबोर्ड एवं चिपसेट	इंटेलई5-4620 वी4
3	मेमोरी	512 जीबीडीडीआर III 1 टीबी तक विस्तार योग्य, 1600 मेगा हर्ट्ज
4	स्टोरेज	4x600 जीबीएसएएसहॉट स्वैप एचडीडी (10केया उच्चतम आरपीएम)
5	आरएआईडी	1 जीबी कैचे के साथ आरएआईडी 0,1 एवं 5 समर्थित एसएएस आरएआईडी नियंत्रक
6	विडियो नियंत्रक	एकीकृत ग्राफिक्स नियंत्रक
7	नेटवर्क पोर्ट	1. क्वाड 10 जीबीपीएस एवंड्युएल 1 जीबीपीएस नेटवर्क पोर्ट 2. दो 5मी. एलसी-एलसी केबल के साथ ड्युएल 8 जीबीपीएस एफसी पोर्ट
8	ऑप्टिकल ड्राइव	डीवीडी रोम ड्राइव
9	सिस्टम चेचिस	2यू रैक माउंट सर्वर चेचिस जिसमें कि 5 हॉट स्वैप ड्राइव बे के साथ रिडंडेंट हॉट स्वैपेबल पावर सप्लाईहो।
10	ओएस सपोर्ट एवं प्रमाणीकरण	1. लिनक्स एवं विंडोस के लिए प्रमाणीकरण 2. ओएस संस्थापन, सिस्टम कन्फिरगेशन एवं सर्वर प्रबंधन हेतु अपेक्षित समस्त डिवाइस ड्राइवर
11	वारंटी अवधि	पांच वर्ष की वारंटी

अनुबंध-lख

विनिर्देशन

मॉडल: एचपीईडीएल560 जेन 9 (रैक माउंट सर्वर 4पी) – कुल 5

क्र. सं.	पुर्जों के नाम	पुर्जों का विवरण
1	प्रोसेसर	चार x 86 64 - बिट प्रोसेसर
2	मदरबोर्ड &चिपसेट	इंटेलई5-4620 वी4
3	मेमोरी	1 टीबी डी डी आर III 1600 मेगा हट्र्ज
4	स्टोरेज	4 X 600 जीबीएसएएसहॉट स्वैप एचडीडी (10केया उच्चतम आरपीएम)
5	आरएआईडी	1 जीबी कैचे के साथ आरएआईडी 0,1 एवं 5 समर्थित एसएएस आरएआईडी नियंत्रक
6	विडियो नियंत्रक	एकीकृत ग्राफिक्स नियंत्रक
7	नेटवर्क पोर्ट	1. क्वाड 10 जीबीपीएस एवंड्युएल 1 जीबीपीएस नेटवर्क पोर्ट 2. दो 5 मी. एलसीएलसी- केबल के साथ ड्युएल8 जीबीपीएस एफसी पोर्ट
8	ऑप्टिकल ड्राइव	डीवीडी रोम ड्राइव
9	सिस्टम चेचिस	2(दो) यू रैक माउंट सर्वर चेचिस जिसमें कि 5 हॉट स्वैप ड्राइव बे के साथ रिडंडेंट हॉट स्वैपेबल पावर सप्लाईहो।
10	ओएस सपोर्ट एवं प्रमाणीकरण	1. लिनक्सएवंविंडोसकेलिएप्रमाणीकरण। 2. ओएस संस्थापन, सिस्टम कन्फिरगेशन एवं सर्वर प्रबंधन हेतु अपेक्षित समस्त डिवाइस ड्राइवर।
11	वारंटी अवधि	पांच वर्ष की वारंटी

अनुबंध-II

कार्य क्षेत्र के संदर्भ में तकनीकी अनुपालन विवरण

क्र. सं.	तकनीकी विवरण	अनुपालनहाँ/नहीं	पृष्ठ सं	टिप्पणी*
1.	कृपया कार्य क्षेत्र और नि.आ.सू. के अन्य निबंधन एवं शर्तों के संबंध में बोलीदाता द्वारा वितरणयोग्य (डिलिवरेबल्स) की स्वीकृति और समझ की पुष्टि करें।			
2.	बोलीदाता को अनुरक्षण/पुर्ज़ों के लिए एक के बाद एक ओईएम प्राधिकार प्रदान करना चाहिए।			
3.	कृपया पुष्टि करें कि फर्म कंप्यूटर आइटम के रख-रखाव सपोर्ट प्रदान करने के लिए आईएसओ प्रमाणित है।			
4	कृपया सं.लो.से.आ. परिसर पर तैनात किए जाने वाले रेजिडेंट अभियंताओं की योग्यता (तकनीकी शैक्षिक प्रमाण पत्र की प्रति), आयु और अनुभव के दस्तावेजी प्रमाण के साथ विवरण प्रदान करें।			
5	कृपया पुष्टि करें कि सं.लो.से.आ. परिसर पर तैनात किए जाने वाले रेजिडेंट अभियंता बोलीदाता का नियमित कर्मचारी है।			
6	कृपया पुष्टि करें कि सं.लो.से.आ. परिसर पर रेजिडेंट इंजीनियर कार्य क्षेत्र के बिंदु 4,5 और 6 में यथा उल्लिखित परिचालन और संस्थापना सहायता प्रदान करेगा।			
7	कृपया निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के संदर्भ में कार्यक्षेत्र में किसी भी विचलन को स्पष्ट रूप से इंगित करें।			

टिप्पणी1: सभी बोलीदाताओं को अनुपालन कॉलम में 'हाँ' अथवा 'नहीं' लिखना अपेक्षित है। उन्हें, तकनीकी बोली में, विस्तार से स्पष्ट रूप से वर्णन करना भी अपेक्षित है कि वे निविदा बोली में उल्लिखित कार्य के तकनीकी क्षेत्र का अनुपालन की योजना कैसे बनाते हैं।उन्हें 'पृष्ठ संख्या' का उल्लेख करना भी आवश्यक है जहां उन्होंने उपर्युक्त समस्त बिंदुओं का वर्णन किया है।

टिप्पणी2: *विचलन, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए।

<u>अनुबंध-**III**</u>

<u>सं.लो.से.आ. के ऑन-लाईन सर्वर के वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) हेतु बोली आमंत्रण</u>

हम ____

_______(फर्म का नाम व पता) आपके दिनांक _______________ की निविदा आमंत्रण सूचना के संबंध में सं.लो.से.आ. ऑन-लाईन सर्वरों के वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) हेतु तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :-

1. कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।
2. कि हम एनआईटी में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र को पूरी तरह समझते हैं और हमारी बोलीपूर्णत: कार्यक्षेत्र के अनुसार है।
3. कि फर्म सात वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है और विगत 3 वित्तीय वर्षों मेंप्रत्येक वर्ष के दौरान केवल सर्वरों और डेस्क-टॉप कंप्यूटरों की एएमसी से इसका न्यूनतमकारोबार 50 लाख रुपए से अधिक है।
4. फर्म के पास कार्यक्षेत्र में यथानिर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकीविशेषज्ञता है एवं सं.लो.से.आ. ऑन-लाईन सर्वर का रख-रखाव के लिए एएमसी अवधि के दौरान रेजिडेंट अभियंता की सेवा प्रदान की जाएगी।
5. कि सर्वरों के पुर्जों की मरम्मत प्रतिस्थापन मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) के द्वारा की जाएगी।
6. कि मुझे/हमें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडितनहीं किया गया है और न ही दोषी पायागया है।
7. कि मुझे/हमें किसी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म/बोलीदाता का नाम व पता

<u>अनुबंध</u>**<u>-IV</u>**

घोषणा

मैं ____ सुपुत्र / सुपुत्री श्री ____ एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरा कोई भी संबंधी संघ लोक सेवा आयोग(सं.लो.से.आ.) नई दिल्ली में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरेद्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है तो सं.लो.से.आ. को मुझे कोई पूर्व सूचना दिए बिनाउचित समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक : ____________

(फर्म की मुहर के साथ
बोलीदाता के दिनांकित हस्ताक्षर)

अनुबंध**- V**

वित्तीय बोली/ मूल्य अनुसूची
(केवल बीओक्यू प्रारूप में अपलोड करने हेतु)

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	प्रथम वर्ष के लिए दरें (Y1)	द्वितीय वर्ष के लिए दरें (Y2)	तृतीय वर्ष के लिए दरें (Y3)	निविदा कीतिथि को यथालागू कर (प्रतिशत में)	एनपी वी (कर रहित)
1.	मॉडल – **एचपीईडीएल560 जेन 9**(रैक सर्वर-4पी/ इंटेल ई5-4620 वी4/512 जीबी डीडीआर III रैम, 1600 मेगा हर्ट्ज/4x600 जीबी एसएएस हॉट स्वैप एचडीडी)	7					
2	मॉडल - **एचपीईडीएल560 जेन 9**रैक सर्वर-4पी/ इंटेल ई5-4620 वी4/1 टीबीरैम, डीडीआर III 1600 मेगा हार्ट्ज/4x600 जीबी एसएएस हॉट स्वैप एचडीडी	5					
3	रेजिडेंट अभियंता की सेवाएं 8x7* (8 घंटे/दिन 7 दिन/सप्ताह) के लिए	1					
4	कुल लागत (रु. में)						

*तथापि, रेजिडेंट अभियंता को किसी भी संभावित घटना की स्थिति मेंकभी भी बुलाया जा सकता है।

1) प्रथम वर्ष की शुरुआत संविदा प्रदान किए जाने की तिथि से होगी।

2) दरों के साथ करों को अलग से उद्धृत किया जाएगा। जो बोलीदाता करों की दर को अलग से उद्धृत नहीं करते हैं उन्हें जिम्मेदार बोलीदाता नहीं समझा जाएगा और उनकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगा।

3) एनपीवी (कुल वर्तमान मूल्य) की गणना 10% वार्षिक बट्टे की दर पर की जाएगी।एल-1 फर्म का निर्णय लेने के लिए गणना का विवरण निम्नानुसार है:-

एनपीवी = $\{Y1+Y2/(1+ 0.1) + Y3/(1 + 0.1)^2\}$

[एनपीवी = कुल वर्तमान मूल्य; Y1 = प्रथम वर्ष हेतु उद्धृत की गई दर; Y2 = द्वितीय वर्ष हेतु उद्धृत की गई दर एवं Y3 = तृतीय वर्ष हेतु उद्धृत की गई दर]

एनपीवी का उदाहरण :

(i) यदि Y1 = 150, Y2= 200 तथा Y3 = 240, तब एनपीवी की गणनानिम्नानुसार होगी:-

एनपीवी = 150 + (200/1.1) + (240/1.21)
= 150 + 181.82 + 198.35
= 530.17

इस प्रकार, एनपीवी रु.530.17 है।

(ii) यदिY1 = 300, Y2 = 250 एवंY3 = 200, तो एनपीवी की गणना निम्नानुसार होगी:-

एनपीवी = 300 + (250/1.1) + (200/1.21)
= 300 + 227.27 + 165.29
= 692.56

इस प्रकार, एनपीवी रु. 692.56 है।

4) एल-1 वेंडर का चयन एनपीवी (कुल वर्तमान मूल्य) अनुबंध-V में दिए गए विवरण के आधार पर किया जाएगा। जबकि भुगतान फर्म द्वारा उद्धृत वर्षवार दरों के आधार पर यथा लागू करों के साथ किया जाएगा।

<u>अनुबंध-VI</u>

जाँच सूची

क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं	पृष्ठ सं.
1	क्या ईएमडी की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		
2	क्या आईएसओ प्रमाणीकरण 9001 की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		
3	क्या अनुरक्षण/ पुर्जों हेतु ओईएम से प्राधिकार पत्र की आगे-पीछे हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		
4	क्या पंजीकरण / निगमन प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		
5	क्या वर्ष2021-2022सहित पिछले तीन वर्षों की फर्म कीआयकर विवरणियों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		
6	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		
7	क्या वर्ष2021-2022सहित फर्म के पूर्ववर्ती तीन वर्ष कीलेखा परीक्षित बैलेंस-शीट की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गईप्रतियां तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट से (i) पूर्ववर्ती तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष कावार्षिक टर्नओवर तथा (ii) यह टर्नओवर ऑनलाइन सर्वरों औरडेस्कटॉप कंप्यूटरों की एएमसी से संबंधित होना चाहिए तथाअन्य स्रोत से प्राप्त आय इसमें शामिल नहीं है, यह दर्शाता हुआप्रमाणपत्र संलग्न है।		
8	कार्य आदेश की प्रतियों के साथ उन संगठनों की हस्ताक्षरितऔर स्कैन की गई सूची जहां फर्म ने पिछले5 वर्षों के दौरानइस प्रकार की सेवाएं निष्पादित की हों या निष्पादित कर रही हों		
9	क्या पैन कार्ड की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		
10	क्याअनुबंध-II के अनुसार तकनीकी अनुपालन विवरण की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		
11	क्या अनुबंध-III की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		
12	क्या अनुबंध- IV के अनुरुप हस्ताक्षरित और स्कैन की गई घोषणा पत्र की प्रति संलग्न है।		
13	क्या सं.लो.से.आ.साइट पर तैनात किए जाने वाले रेजिडेंट अभियंता के विवरण की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति उनकी योग्यता, आयु और अनुभव के दस्तावेजी प्रमाण के साथ संलग्न है।		

(फर्म का प्राधिकृत नाम एवं पता)
दूरभाष सं./मोबाईल सं./फैक्स सं.

ऑन-लाईन बोली प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग कर सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोलियों की सॉफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सीपीपी पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर उनकी बोलियों को ऑन-लाईन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सीपीपी पोर्टल पर ऑन-लाईन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/appसे प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण

1. बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर**"ऑन-लाइन बोलीदाता नामांकन"**केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल(यूआरएल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल पर लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना अपेक्षित है जो कि नि:शुल्क है।
2. नामांकन प्रक्रिया के भाग के रुप में बोलीदाताओं को एक यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड असाइन करना अपेक्षित होगा।
3. बोलीदाता को पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रुप में उनका वैध ईमेल आईडी तथा मोबाईल नंबर पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है। इसे सीपीपी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
4. नामांकन हो जाने पर बोलीदाता को अपने प्रोफाइल सहित सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणिक प्राधिकरण (जैसे सीफी/ टीसीएस/ एनकोड/ ई-मुद्रा, आदि) द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर करने की कुंजी के उपयोग के साथ श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाणपत्र)।
5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डीएससी किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं किया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है।
6. बोलीदाता उसके बाद सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड और डीएससी/ ई-टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर साइट पर लॉग इन करें।

निविदा दस्तावेज़ के लिए सर्च करना

1. बोलीदाताओं कोविभिन्न पैरामीटरोंद्वारा सक्रिय निविदा की खोज हेतुसुविधा प्रदानकरने के लिए सीपीपी पोर्टल पर कईसर्च विकल्प मौजूद हैं, इन पैरामीटरों

में निविदा आईडी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते हैं। निविदा की एडवांस सर्चसंबंधी विकल्प भी मौजूद है जिसमें बोलीदातासीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की सर्च के लिए कई सर्च पैरामीटर जैसे संगठन का नाम, संविदा प्रपत्र, अवस्थिति, तारीख, अन्य की-वर्ड आदि डाल सकते हैं।

2. अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद, बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ / निविदा अनुसूचियां डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं। यह सीपीपी पोर्टल, बोलीदाताओं को एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से निविदा दस्तावेज़ में जारी होने वाले शुद्धि-पत्र की जानकारी यदि कोई हो, प्रदान करेगा।

3. यदि बोलीदाता हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/ सहयोग चाहते हैं तो प्रत्येक निविदा को दिए गए युनिक निविदा आईडी का नोट बना लेना चाहिए।

बोली तैयार करना

1. अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ के संबंध में प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

2. कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें ताकि बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों को समझ सकें। कृपया लिफाफों की संख्या जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट करें। इनसे किसी प्रकार के अन्तर होने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

3. बोलीदाता को अग्रिम रूप में बोली दस्तावेज़ / अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और साधारणतया ये दस्तावेज़ पीडीएफ/एक्सएलएस/ आरएआर/ डीडब्ल्यूएफ/ जेपीजी फार्मेट में होने चाहिएं। बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित **100 डीपीआई** के साथ स्कैन किया जाए जिससे स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को छोटा करने में मदद मिलेगी।

4. इस प्रकार के अपेक्षित मानक दस्तावेज़ों को अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात् पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं को मुहैया कराया गया है। ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता, उनको उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बोलीप्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" एरिया से प्रस्तुत सकते हैं और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय में कमी आएगी।

टिप्पणी: अपलोडिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए माई डॉक्युमेंट्स स्पेस केवल बोलीदाताओं को दिया गया एक रिपॉजिटरी है। यदि बोलीदाता ने माय डॉक्युमेंट्सस्पेस में अपने दस्तावेज़ अपलोड किए हैं, तो यह स्वतः इन दस्तावेज़ों को तकनीकी बोली का हिस्सा होना सुनिश्चित नहीं करता है।

बोली प्रस्तुत करना :

1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप में साइट पर लॉग-इन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि या उससे पहले अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी विलंब के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।
2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज़ों को डिजीटल हस्ताक्षर करके एक-एक कर अपलोड करना हैं।
3) बोलीदाता को यथा लागू निविदा शुल्क / धरोहर जमा राशि का भुगतान करने के लिए “ऑफ लाइन” भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लिखत / दस्तावेज़ के विवरण को प्रविष्ट करना होगा।
4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार धरोहर जमा राशि (ईएमडी) तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथा निर्दिष्ट तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथावर्णित तारीख तक भेजा जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि उन्हें यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी वित्तीय बोली अनिवार्य रूप से दिए गए फार्मेट में ही जमा की है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बीओक्यूफार्मेट में दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करना है और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना है। बोलीदाताओं को बी ओ क्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है, इसे खोलें और अपने संबंधित वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरण (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग के (असंरक्षित) कोष्ठकों को पूरा करें। किसी अन्य कोष्ठक को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर, बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑन-लाइन प्रस्तुत कर दें। यदि बीओक्यू फाइल को बोलीदाता द्वारा संशोधित किया हुआ पाया जाता है तो बोली निरस्त कर दी जाएगी।

6) सर्वर टाइम (जिसे बोलीदाता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन प्रविधि पीकेआई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली को खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया जाता है। संवेदनशील फील्डों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिप्शन किया जाता है। कोई बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर पर अपलोड किया जाता है वह सिस्टम जेनरेटेड सिमेट्रिक "की" का उपयोग करते हुए सीमेट्रिक इन्क्रिप्शन के अध्यधीन होता है। इसके अतिरिक्त यह **"की"** क्रेता/ बोली खोलने वाले की पब्लिक **"की"** का प्रयोग करते हुए एसीमैट्रिक इन्क्रिप्शन के अध्यधीन होता है। समग्र रूप से, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़, केवल तभी पठनीय होंगे जब प्राधिकृत बोली खोलने वालों के द्वारा निविदा खोली जाएगी।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वालों के द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में "फ्रीज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली संख्या और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी।

10) बोली सारांश को मुद्रित किया जाना है और बोली के प्रस्तुतीकरण के पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए प्रवेश पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

बोलीदीताओं को सुविधा

1. निविदा दस्तावेज़ तथा उनमें समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए।
2. ऑन-लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित पूछताछ को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को निदेशित कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का संपर्क नं. 1800 3070 2232 है।बोलीदाता +91-7878007972 एवं+91-7878007973से भी मदद ले सकते हैं।